



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 8-2025]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025
(6 फाल्गुन, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 13/के०अ० 53/1972/धा० 36ग/2025, दिनांक 21 फरवरी, 2025 - 1411-1412 प्राणी, वनस्पति और परंपरागत अथवा सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं की सुरक्षा के प्रयोजन के लिए सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र अर्थात् 'चौधरीवाली सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र' के रूप में घोषित करने बारे।	
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनःप्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और अन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 फरवरी, 2025

संख्या का०आ० 13/के०अ० 53/1972/धा० 36 ग/2025.— वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 36ग की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को प्राणी, वनस्पति और परंपरागत अथवा सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं की सुरक्षा के प्रयोजन के लिए सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र अर्थात् 'चौधरीवाली सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र' के रूप में घोषित करते हैं:—

विशिष्टियां

चौधरीवाली सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र

जिला	तहसील	क्षेत्र का नाम	गांव तथा हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल एकड़ों में	आयत संख्या	सीमा
हिसार	आदमपुर	ग्राम पंचायत भूमि चौधरीवाली	चौधरीवाली भूमि खेवट नं० 403 खसरा नं० 163 रकबा: (135-19) खसरा नं० 164/1/64 रकबा: (100-08) खसरा नं० 165 रकबा: (365-13) और खसरा नं० 166/1 रकबा: (547-01)	1149 कनाल 1 मरला	163,164, 165 और 166	पूर्व: ग्राम पंचायत वासी देह व श्री बनवारी पुत्र श्री लालूराम उत्तर: श्री बनवारी पुत्र श्री भागीरथ व श्री उग्रसैन, श्री पृथ्वी व श्री रामप्रताप पुत्र श्री भागीराम, श्री उदयभान व श्री जयप्रकाश पुत्र श्री दयाकिशन व श्री सीताराम व श्री कृष्ण पुत्र श्री रामरतन उर्फ श्री भजनलाल की कृषि भूमि पश्चिम: श्री साहबराम, श्री बदरी, श्री विश्वामित्र पुत्रान श्री मनफूल पुत्र श्री बगड़ावत की कृषि भूमि। दक्षिण: गांव चौधरीवाली की आबादी देह

आनंद मोहन शरण,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT, FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 21st February, 2025

No. S.O. 13/C.A. 53/1972/S. 36C/2025.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 36(c) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972), the Governor of Haryana hereby declares the area specified below as Community Reserve namely '**Chaudhariwali Community Reserve**' for the purpose of protecting fauna, flora and traditional or cultural conservation values and practices:-

SPECIFICATIONS

Chaudhariwali Community Reserve

District	Tehsil	Name of area	Village and Hadbast Number	Area in Acre	Rectangle Number	Boundary
Hisar	Adampur	Village Panchayat land Chaudhariwali	Chaudhariwali Khewat No. 403 Khasra No. 163 (Rakba 135-19) Khasra No. 164/1/64 (Rakba 100-08) Khasra No. 165 (Rakba 365-13) and Khasra No. 166/1 (Rakba 547-01)	1149 Kanal 1 Marla	163, 164, 165 and 166	East: Residential Land of Sh. Banwari S/o Sh. Laluram North: Agriculture land of Sh. Banwari S/o Sh. Baaghirath, Sh. Ugarsain, Sh. Prithvi & Sh. Ram Pratap S/o Sh. Bhagiram, Sh. Udaybhan & Sh. Jaiprakash S/o Sh. Daya Kisan & Sh. Sitaram & Sh. Krishan S/o Sh. Ram Ratan urf Sh. Bhajanlal West: Agricultural Land of Sh. Sahabram, Sh. Badri, Sh. Vishwmitar S/o Sh. Manphool S/o Sh. Bagdawat. South: Land of village Aabadi, Chudhariwali

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.